

बामर लॉरी एण्ड कं. लि.
(भारत सरकार का उपक्रम)

एस.बी.यू. : ग्रीस एवं लुब्रिकेंट्स)
पी-43, हाईड रोड, एक्सटेंशन,
कोलकाता – 700 088
भारत

निविदा आमंत्रण सूचना

1. निविदा का स्वरूप : वैश्विक निविदा
2. निविदा संख्या : जीएलके/टीई 19/ 201
3. निविदा तिथि : 19.08.19
4. निविदा नियत तिथि : 12.09.19 15:00 भा.मा.समय
5. मद : नैफथेनिक बेस ऑयल
6. मात्रा : 80 MT +10%
7. प्रस्ताव की वैधता : निविदा खुलने की तिथि से 30 दिन
8. पेशगी धन जमा : विस्तृत निविदा शर्तों के अनुसार
9. सुरक्षा जमा : विस्तृत निविदा शर्तों के अनुसार
10. निविदा की अवधि : क्रयादेश की तिथि से पाँच अथवा पूरी मात्रा का निष्पादन किए जाने तक
11. निविदा दस्तावेज : संलग्न

निविदा दस्तावेज

बामर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अध्याधीन भारत सरकार का उद्यम, उल्लिखित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार, नीचे प्रस्तुत नियम एवं शर्तों पर, **नैफथेनिक बेस ऑयल** की आपूर्ति के लिए निर्माताओं/व्यवसाय से सम्बद्ध संभावित बोलीदाताओं से निविदाएं आमंत्रित करता है:-

टिप्पणी : समयबद्ध सुपुर्दगी इस निविदा की वैधता है ! बोलीदाता से निविदा सुपुर्दगी समय में किसी परकार की भिन्नता नहीं करने हेतु अनुरोध किया जाता है !

1.0 उत्पाद विनिर्देश :

क्र.सं.	भौतिक परिसंपत्तियां	परीक्षण विधियाँ	विनिर्देश
1	प्रतीति	दृश्यात्मक	स्पष्ट और उज्ज्वल
2	रंग	एएसटीएम डी1500	2.0 अधिकतम
3	विशिष्ट घनत्व @ 29°5C	एएसटीएम डी 1298	रिपोर्ट करना
4	के विस्कॉसिटी @ 40°C	एएसटीएम डी 445	90 से 120
5	के विस्कॉसिटी @ 100°C	एएसटीएम डी 445	रिपोर्ट करना
6	विस्कॉसिटी सूचकांक	एएसटीएम डी 2270	50 अधिकतम
7	पोरप्वाइंट, °C	एएसटीएम डी 97	(-)30 न्यूनतम
8	फ्लैश प्वाइंट, सीओसी, °C	एएसटीएम डी 92	200.0 न्यूनतम
9	कुल एसीड सं., mg KOH/g	एएसटीएम डी 974	0.05 अधिकतम
10	नमी की मात्रा, %	एएसटीएम डी 6869/ आईएसओ 15512	शून्य
11	सल्फर सामग्री	आईसीपी / ई डी एक्स आर एफ	रिपोर्ट करना
12	हयड्रोकार्बॉन प्रकार	एएसटीएम डी 2140	
	सीए %		8 -12
	सीएन %		38 - 42
	सीपी %		46 - 54

2.0 नैफथेनिकबेस ऑयलके नमूने

ऐसे बोलीदाता, जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान कोई आपूर्ति नहीं की है, कृपया हमारे द्वारा मूल्यांकन के लिए अपनी नमूना सामग्री हमें निविदा की नियत तिथि को / से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करें।

3.0 पैकिंग

सभी बेस ऑयल फ्लेक्सी टैंक / आईएसओ टैंक / टैंक लॉरी में आपूर्ति करना है।

4.0 मात्रा :

- कोलकाता में आवश्यक : 80 एमटी +10%

टिप्पणी : 1) उपर्युक्त मात्राएं संकेतक हैं और कुल वास्तविक कॉल अप भिन्न हो सकती हैं।

5.0 आपूर्ति :

प्रत्येक लॉट/बैच के साथ निर्माता का परीक्षण प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता रिपोर्ट का अनुमोदन भेजा जाना चाहिए। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव के साथ इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करें कि उनका उत्पाद निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप होगा।

6.0 संदर्भ एवं प्रमाणक

बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सामग्री के मूल देश, भारतीय तथा विदेशी ग्राहकों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

यदि विदेशी बोलीदाता का प्रतिनिधित्व भारत में किसी एजेंट द्वारा किया जा रहा है तो उसे मूल बोलीदाता द्वारा जारी एजेंसी करार / प्राधिकार प्रस्तुत करना होगा।

7.0 शिपमेंट की विधि: विदेशी बोलीदाताओं द्वारा समुद्र मार्ग से। देशीय बोलीदाताओं के प्रस्ताव केवल एफ.ओ.आर. गंतव्य के लिए होने चाहिए।

8.0 मूल्य

8.1 विदेशी बोलीदाता (बोलीदाताओं के लिए)

दरों का उल्लेख निम्नानुसार केवल अमेरिकी डालरों में किया जाना चाहिए:

क) कोलकाता प्लांट में आपूर्ति हेतु सी.आई.एफ. नौशेवा बंदरगाह

8.2 देशीय बोलीदाता (बोलीदाताओं) के लिए

दर (दरों) का उल्लेख भारतीय रूप में बामर लारी के संयंत्र पर निम्नानुसार एफ.ओ.आर. डिलीवरी के साथ किया जाना चाहिए: जी एंड एल, एंड एल, कोलकाता निम्नलिखित पते पर :

BALMER LAWRIE AND CO LTD, ग्रीस डिविजन, P-43 HIDE ROAD EXTENSION,
KOLKATA - 700088

आदेश जारी किए जाने के पश्चात मूल्य निश्चित माने जाएंगे तथा बामर लारी द्वारा किसी भी आधार पर मूल्य में संवर्धन किए जाने के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

9.0 विदेशी बोलीदाताओं के लिए हमारे बैंक के माध्यम से भुगतान की बातचीत के लिए मूल रूप से दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत की जानी है।

i) विश्लेषण प्रमाणपत्र - 2 मूल

- ii) उत्पत्ति प्रमाणपत्र - 1 मूल
- iii) लदान का बिल - 3 मूल
- iv) चालान - 3 मूल
- v) पैकिंग सूची - 2 मूल
- vi) बीमा प्रमाणपत्र - 1 मूल
- vii) पूर्व शिपमेंट निरीक्षण प्रमाणपत्र - 1 मूल

10.0 भुगतान शर्तें

विदेशी बोलीदाता(बोलीदाताओं) के लिए: हमारे बैंक के माध्यम से प्रेषित मूल शिपिंग दस्तावेजों के अनुसार लदान पत्र की तिथि से 60 दिन के भीतर।

हमारा बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 19 एन एस रोड, कोलकाता 700001 है।

देशीय बोलीदाता (बोलीदाताओं के लिए): बामर लारी के संयंत्र पर सामग्री की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर।

11.0 मूल देश

बोलीदाता (बोलीदाताओं) को अपने प्रस्ताव में सामग्री के मूल देश का उल्लेख अवश्य करना चाहिए।

12.0 सीमा शुल्क मूल्य सूची संख्या

विदेशी बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव में सीमा शुल्क मूल्य सूची संख्या अवश्य सूचित करनी चाहिए। देशीय बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव में एच.एस.एन. का उल्लेख करना चाहिए।

13.0 शिपमेंट पूर्व जांच

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुनः ज्ञात निरीक्षण एजेंसी द्वारा पूर्व शिपमेंट निरीक्षण।

बामर लारी की अपेक्षाओं के अनुरूप सामग्री के स्वरूप की पूर्व जांच, निर्माता के परीक्षण प्रमाण पत्र तथा विदेशी बोलीदाताओं के मामले में किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा कार्गो के भौतिक शिपमेंट के संबंध में जारी वेमेंट प्रमाण पत्र (पत्रों) का सत्यापन किया जाना चाहिए। इन पूर्व जांच प्रभारों में सीआईएफ मूल्य, यदि लागू हों, शामिल होने चाहिए। यह प्री-शिपमेंट निरीक्षण प्रमाणपत्र भुगतान की वार्ता के लिए मूल दस्तावेजों के पूर्ण सेट का हिस्सा होगा। विक्रेता निरीक्षण एजेंसी के चुनाव के बारे में बीएल से मंजूरी प्राप्त करने के लिए

नोट: बीएल अपने विवेकानुसार "प्री-शिपमेंट" निरीक्षण खंड को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है

14.0 डिलीवरी अनुसूची विदेशी बोलीदाता & देशीय बोलीदाता:

प्रेषण मात्रा कॉल अप मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रेषण केवल हमारी कॉल के अनुसार होना चाहिए और इसमें कोई भी विचलन नहीं माना जाएगा।

15.0 परिशिष्ट / शुद्धिपत्र :

किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र, जब आवश्यक हो, केवल कंपनीकी वेबसाइट www.balmerlawrie.com और बीएल ई-प्रो साइट, <https://balmerlawrie.eproc.in> पर अपलोड की जाएगी जहां यह निविदा जारी है और इच्छुक विक्रेताओं को अद्यतन हेतु नियमित रूप से इन वेबसाइटों को देखना चाहिए।

16.0 जोखिम क्रय

विक्रेता द्वारा निर्धारित समय में आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में इस निविदा के अन्य प्रावधानों के प्रति निष्पक्ष होते हुए बामर लारी के पास, विक्रेता को सूचित किए बिना तथा विक्रेता के जोखिम एवं लागत पर, उत्पाद की अधिप्राप्ति अन्य वैकल्पिक स्रोतों से करने का अधिकार एवं विकल्प होगा।

अस्वीकृति, यदि कोई हो, के मामले में यदि प्रतिस्थापन सामग्री का देशीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रेषण एवं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा शिपमेंट सूचना दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर नहीं किया जाता है तो बामर लारी को, आपूर्तिकर्ता को सूचित किए बिना तथा उसके जोखिम एवं लागत पर, उत्पाद की अधिप्राप्ति वैकल्पिक स्रोतों से करने का अधिकार होगा।

17.0 आदेश प्लेसमेंट

17.1 निविदाओं का मूल्यांकन (विदेशी बोलीदाताओं के लिए) निविदा खोले जाने की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनिमय दर के अनुसार किया जाएगा अधिक विनिमय दर fluctuations के लिए 1.5%.

17.2 किसी निविदा को पूर्ण रूप में अथवा विभाजित करके स्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण सूचित किए किसी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बामर लारी एंड कम्पनी का अधिकार सुरक्षित होगा। किसी/सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा/अथवा अस्वीकार करने का एकल विवेकाधिकार बामर लारी के पास होगा तथा इस संबंध में बामर लारी द्वारा लिया जाने वाला निर्णय सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

18.0 गारंटी

उत्पाद की प्राप्ति तथा परीक्षण किए जाने पर [संयंत्र में प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर] यदि ऐसा पाया जाता है कि यह संविदागत विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो आपूर्तिकर्ता को कोई लागत लिए बिना उत्पाद बदलना होगा तथा वह इसके लिए क्रेता को विनिर्देशों पर खरी न उतरी सामग्री पर किए गए व्यय की भरपाई भी करेगा।

19.0 विवाचन

अनुबंध/संविदा/आदेश के संबंध में किसी प्रकार का विवाद अथवा मतभिन्नता बामर लारी या अन्यथा सी एंड एमडी द्वारा निर्णय के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी जो स्वयं अथवा नामित किसी अधिकारी को एकल विवाचक की भूमिका के लिए नामित करके पार्टियों के मध्य विवाद तथा मतभिन्नताओं का विवाचन करेंगे (उन मामलों के अलावा जिनके संबंध में संविदा के अंतर्गत किसी व्यक्ति का व्यक्त निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।)

बामर लारी के ऐसे किसी अधिकारी को एकल विवाचक के रूप में नियुक्त करने के प्रति आपूर्तिकर्ता को इस आधार पर कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा कि उक्त अधिकारी बामर लारी का अधिकारी है अथवा बामर लारी के एक अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए उसने विवाद अथवा मतभिन्नता के सभी मामलों अथवा किसी मामले के संबंध में अपने कोई विचार व्यक्त किए हैं।

विवाचक द्वारा लिया जाने वाला निर्णय विवाचन एवं समाधान अधिनियम, 1996 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित एवं प्रचलित नियमों की शर्त के साथ सभी पार्टियों के लिए अंतिम, निर्णायक एवं बाध्यकारी होगा।

ऐसा निर्णय लिखित रूप में दिया जाएगा तथा विवाचक द्वारा इसका प्रकाशन इसका संदर्भ दिए जाने की तिथि से छः माह के भीतर अथवा पार्टियों के मध्य आपसी सहमति के अनुसार निश्चित समयावधि के दौरान किया जाएगा। विवाचन की प्रक्रिया एकल रूप में निर्धारित अवधि के दौरान न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों को ध्यान में

रखकर पूरी किए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए विवाचक को उसके मत अथवा विचारानुसार सभी पार्टियों को अनुपालन के लिए मामले से संबंधित उचित अथवा सही समझे गए निदेश तथा आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी।

विवाचक को विवाद तथा मतभिन्नता के संबंध में अनंतिम अथवा अन्यथा रूप में एक अथवा अधिक निर्णय देने तथा पार्टियों के बीच प्रत्येक दावे अथवा क्रॉस दावों के संबंध में अलग निर्णय देने की शक्ति प्राप्त होगी।

विवाचक को किन्हीं भी पार्टियों को विवाचक के विवेकानुसार निर्धारित स्वरूप अथवा परिमाण के अनुसार विवाचन की लागतों के भुगतान का निदेश देने का अधिकार होगा तथा विवाचन के खर्चों को पूरा करने के लिए वह एक अथवा दोनों पार्टियों से ऐसे अनुपातिक स्वरूप में निधियां जमा करवाने की अपेक्षा कर सकेगा। ऐसी अपेक्षा की स्थिति में विवाचन से सम्बद्ध पार्टियां बिना किसी आपत्ति के ऐसे निदेशों का पालन करने के प्रति बाध्य होंगी।

किसी भी अन्य कानून में कोई व्यवस्था होते हुए भी पार्टियां एतद्वारा यह सहमति देती हैं कि इस अनुबंध के अंतर्गत तथा यहां उल्लिखित एकल विवाचक के किसी निर्णय अथवा निर्णयों से संबंधित मामलों के न्यायाधिकरण केवल कोलकता नगर में स्थित न्यायालय ही होंगे तथा केवल कोलकाता नगर में स्थित न्यायालयों में ये प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

20.0 विनियमों का अनुपालन

विक्रेता द्वारा इस अनुबंध / संविदा में शामिल सभी वस्तुओं की उत्पत्ति, बिक्री, प्रेषण तथा डिलीवरी समय समय पर लागू सभी लागू कानूनों, विनियमों, श्रम अनुबंधों, कार्य स्थितियों तथा तकनीकी कोडों एवं अपेक्षाओं के अनुसार किए जाने का प्रमाणन करना होगा। इस आशय से अथवा इसके अनुपालन के प्रमाण के तौर पर विक्रेता से दस्तावेजों का निष्पादन तथा उनकी प्रस्तुति की अपेक्षा की जा सकेगी।

इस अध्याय में समावेश किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक कानून तथा विनियम को यहां इन संदर्भों में शामिल किया गया माना जाएगा। बामर लारी तथा/अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि इस अनुबंध / संविदा में शामिल किसी निर्माण तथा / अथवा माल की आपूर्ति से संबंधित किन्हीं वैधानिक विनियमों की किसी अनियमितता, उल्लंघन अथवा अतिलंघन के प्रति किसी दायित्व के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

विक्रेता को अनिवार्य रूप से जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए और जीएसटी कानून के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में किसी भी चूक की स्थिति में, बामर लॉरी भुगतान न करने के अधिकार का प्रयोग करेगा /

21.0 अप्रत्याशित घटना

किसी पार्टी द्वारा प्राकृतिक अथवा शत्रु की किसी क्रिया, सरकारी अथवा सरकारी प्राधिकरण के आदेश, युद्ध, राजद्रोह, तोड़फोड़ अथवा आग लगने, बाढ़, विस्फोट, दंगा अथवा हड़ताल होने की स्थिति के कारण हुई किसी देरी अथवा निष्पादन न कर पाने के परिणामस्वरूप हुई चूक को देरी / निष्पादन न कर पाने के परिणामस्वरूप हुई चूक अथवा क्षति से संबंधित किसी दावे के तौर पर नहीं लिया जाएगा। विक्रेता को ऊपर संदर्भित स्थितियों का रिकार्ड रखना होगा तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के सात दिन के भीतर लिखित रूप में इसे क्रेता के संबंधित अधिकारी की जानकारी में लाना होगा। इन कारणों से हुई समय की देरी, यदि कोई हो, का गणन संविदा अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। विक्रेता के साथ विचार विमर्श के पश्चात क्रेता द्वारा लिया जाने वाला निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा। समय की ऐसी अवधि क्रेता द्वारा बढ़ाई जाएगी ताकि विक्रेता विस्तारित अवधि के दौरान मदों की डिलीवरी कर सके।

अप्रत्याशित घटना की स्थिति समाप्त होने के पश्चात, उस पार्टी द्वारा, जो अपने दायित्वों के निष्पादन से प्रभावित हुई है, दूसरी पार्टी को ऐसे अवरोध की जानकारी दी जाएगी तथा उसे यह सूचित किया जाएगा कि प्रभावित क्रियाकलापों में कितने समय की वास्तविक देरी हुई है। ऐसी किसी स्थिति, जब कभी घटित हो, इससे

अवरोध उत्पन्न होने की शर्त पर, पार्टी के संविदागत दायित्वों के निष्पादन पर हुए प्रभाव अथवा देरी अप्रत्याशित घटना का दावा करने के लिए न्यायोचित होनी चाहिए।

22.0 बयाना जमा राशि(ई.एम.डी.)

सभी घरेलू बोलीदाताओं को व्याज मुक्त 1,50,000/- रूपए (एक लाख पचास हजार रूपए केवल) की बयाना जमा राशि कोलकाता (कलकत्ता), भारत में किसी अनुसूचित बैंक में देय “बामर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड” के नाम से जारी धनादेश / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, या ऑन-लाईन बैंक जैसे एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस आदि द्वारा हस्तारण करनी होगी।

असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) की बयाना जमा राशि निविदा के अंतिमकरण के पश्चात लौटा दी जाएगी। तथापि, सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) की बयाना जमा राशि सुरक्षा जमा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात वापस की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम /राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में पंजीकृत /लघु उद्योग यूनिटों को अर्जित जमा राशि के भुगतान से छूट प्रदान की गई है।हालांकि उन्हें अपनी बोली के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

23.0 सुरक्षा जमा (एस.डी.)

आपूर्तिकर्ता (आपूर्तिकर्ताओं) द्वारा आशय पत्र/ क्रयादेश प्राप्त किए जाने के पश्चात क्रयादेश /आशय पत्र जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर आदेश के संतोषजनक निष्पादन के तौर पर आदेश के कुल मूल्य (कर एवं शुल्कों के अलावा मूल आदेश मूल्य) पर 2% की दर से कोलकाता (कलकत्ता), भारत में किसी अनुसूचित बैंक में देय “बामर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड” के नाम से जारी धनादेश / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से व्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए भारत में किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से समान मूल्य की सुरक्षा गारंटी भी प्रस्तुत की जा सकती है

24.0 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रावधान (एमएसएमई):

क) योग्यता मानदंड: एमएसएमई विक्रेता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इस निविदा के तहत एमएसएमई विक्रेता के रूप में माना जाने योग्यता के लिए 06.04.18 दिनांकित परिपत्र संख्या एफ: संख्या 21 (17) / 2016 के अनुसार मंत्री द्वारा सीपीपीपी वेबसाइट पर यूएएन संख्या अपलोड की गई है। एमएसएमई पंजीकरण निविदा का विषय निर्माण / सेवा आदि का उल्लेख करे !

ख) पंजीकृत एमएसएमई विक्रेता को पंजीकरण दस्तावेज जमा करने पर बयाना जमा राशि नहीं देना होगा ! एमएसएमई तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्रय नीती के अनुसार सुबिधा पाने हेतु सीपीपीपी पोर्टल (सीपीपीपी) पर एमएसएमई द्वारा दिये गये उदयोग आधार ज्ञापन (यूएम सं०) का विवरण दें !

ख) निविदाओं में मूल्य कोटेशन के लिए अधिमान्यता : एल 1 + 15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर मूल्य उद्धृत करने वाले माइक्रो और लघु उद्यमों को भी एल 1की कीमत तक कम करके आवश्यक मात्रा का एक हिस्सा आपूर्ति करने की अनुमति तब दी जाएगी, जब एल1 की कीमत ऐसी बोलीदाता से हो जो एमएसएमई न हों। इस तरह के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा प्राधिकरण द्वारा परिचालन व्यवहार्यता के आकलन के अधीन संबंधित संयंत्र में ग्रेड के लिए कुल निविदा मात्रा का अधिकतम 25 प्रतिशत तक आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी। अगर एक से अधिक एमएसएमई विक्रेता एल1 के अनुरूप दर दिया हो तो 25% निविदा मात्रा को बराबर विभाजित की जायगी ! अगर एक से अधिक एमएसएमई विक्रेता एल1 के अनुरूप दर दिया हो तो सभी को एल1 के बराबर दर मिलाने हेतु सूचित किया जाय !

25.0 प्रस्ताव की वैधता

प्रस्ताव निविदा की देय तिथि से 30 (साठ) दिन अथवा विस्तारित तिथि तक स्वीकृति के लिए मान्य होगा।

26.0 प्रस्ताव की प्रस्तुति

देशीय बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने चाहिए। तथापि बयाना जमा राशि तथा अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, हमारे कार्यालय में निविदा की देय तिथि तथा समय से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

विदेशी बोलीदाताओं से अपनी निविदा मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है तथा ये निविदा की देय तिथि एवं समय अर्थात् से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

बाहरी लिफाफे पर "नैपथेनिक बेस ऑयल के लिए वैश्विक निविदा" लिखा जाना चाहिए तथा इसपर निम्नलिखित पता लिखा जाना चाहिए :

श्री सुबिमल घोष

अस्स्त मैनेजर(केन्द्रीयप्रापण)

बामर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड,

ग्रीस एवं लुब्रिकेंट्स प्रभाग,

पी-43, हाईड रोड एक्सटेंशन,

कोलकाता – 700 088, भारत

फोन नम्बर : (+) 91 33 24500129

मोबाइल : (+) 91 98310 62391

ई-मेल : ghosh.subimal@balmerlawrie.com

निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की मोहर तथा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा इसे प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विचलन, अगर कोई है, निविदा के विचलन शीट में दर्ज किया जाना चाहिए।

निविदा से संबंधित नियम तथा शर्तों के संबंध में किसी प्रकार का व्यतिक्रम स्वीकार्य नहीं होगा। किसी व्यतिक्रम के मामले में बोलीदाता(बोलीदाताओं) से किसी प्रकार का सम्पर्क किए बिना अथवा कोई कारण बताए बिना, जो भी

कारण हो, प्रस्ताव सिरे से रद्द कर दिया जाएगा।

सम्बद्ध कम्पनियों से प्राप्त प्रस्ताव (भारत के कम्पनी अधिनियम, 1946 में दी गई सम्बद्ध कम्पनी की परिभाषा के अनुसार) को एकल प्रस्ताव के रूप में विचार में लिया जाएगा।

देय तिथि तथा समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव (प्रस्तावों) को मूल्यांकन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनका मोहरबंद लिफाफा (लिफाफे) खोला नहीं जाएगा। प्रस्ताव देय तिथि तथा समय पर न पहुंचने के संबंध में बामर लारी उत्तरदायी नहीं होगी।

धन्यवाद

भवदीय

कृते बामर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड

रोहित अगरवाल
हैड(एससीएम)

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत किए जाने की शर्तें

1.0 बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

बोलीदाता को नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ई-अधिप्राप्ति प्लेटफार्म के माध्यम से बोली प्रस्तुति की अपनी प्रतिक्रिया <https://balmerlawrie.eproc.in> पर प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए बोलीदाता को ई-अधिप्राप्ति मार्केट प्लेस के लिए <https://balmerlawrie.eproc.in> पंजीकरण करवाकर अपनी बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा कोई भी ऑफलाइन बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाता को अपनी अर्हता, योग्यता के दस्तावेज, तकनीकी बोली, वित्तीय बोली इत्यादि ई-अधिप्राप्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निविदा दस्तावेज में दिए गए मानक फार्मेट के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता द्वारा अपने अर्हता मापदंडों / तकनीकी बोली के प्रमाण के लिए अपने सभी संबंधित दस्तावेज इत्यादि की स्कैन की गई प्रतियां, यदि अपेक्षित हो, ईअधिप्राप्ति वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। तथापि, बड़े आकार के दस्तावेज स्कैन करके अपलोड नहीं किए जाने हैं तथा इन्हें निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में निविदा की देय तिथि से पूर्व पहुंचाया जाना है। बोलीदाता को अपलोड की जाने वाली विवरणियों, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए उनकी शुद्धता / सत्यता का उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

2.0 ई-अधिप्राप्ति प्लेटफार्म के लिए पंजीकरण

पंजीकरण तथा ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा.लि. की हैल्प डैस्क से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा वे स्वयं <https://balmerlawrie.eproc.in> वेबसाइट पर लॉग इन करके पंजीकरण कर सकते हैं।

3.0 डिजिटल प्रमाणन का सत्यापन

बोलीदाता को अपनी बोली का सत्यापन ईअधिप्राप्ति प्लेटफार्म पर बोली प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र के साथ करना होगा तथा बोलीदाता द्वारा डिजिटल प्रमाणन के बिना प्रस्तुत बोली ईअधिप्राप्ति प्लेटफार्म पर स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन बोलीदाताओं के पास डिजिटल प्रमाणपत्र नहीं है उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके लिए वे सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हैल्प डैस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।

मैसर्स सी1 इंडिया प्रा.लि.
सी104, सेक्टर 2, नोएडा - 201301

सम्पर्क व्यक्ति :

(i) श्री तीर्थ दास

मोबाइल : + 91 97487 08094
ई-मेल : tirtha.das@c1india.com

4.0 मूल प्रतियों की प्रस्तुति

बोलीदाताओं से यह अनुरोध है कि अपनी बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पूर्व उपचार स्तर के उल्लेख सहित तकनीकी साहित्य एवं लागू बयाना जमा राशि कोरियर / ई-मेल के माध्यम से हमें ऑनलाइन निविदा खुलने से पूर्व पहुंचाने की व्यवस्था करें।

5.0 निविदा का शुद्धिपत्र

बोलीदाता को निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा ईअधिप्राप्ति प्लेटफार्म के माध्यम से समय समय पर जारी किए जाने वाले परिवर्तनों के लिए जोड़े जाने वाले परिशिष्ट / शुद्धिपत्र की ओर ध्यान देना होगा। इसके संबंध में किए जाने वाले किसी प्रकार के दावे के प्रति निविदा आमंत्रित करने वाली कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगी।

6.0 बोली प्रस्तुति की पावती

प्रयोक्ता को बोली प्रस्तुति के संबंध में पूरी प्रक्रिया के लिए अपेक्षित सभी स्टैप्स पूरे करने होंगे। सभी प्रक्रियाएं तथा स्टैप्स पूरे किए जाने के पश्चात बोली प्रस्तुति नम्बर के साथ सिस्टम से पावती प्राप्त होने बोली की सफल प्रस्तुति ज्ञात की जा सकती है। प्रयोक्ता द्वारा अपूर्ण बोली प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में निविदा आमंत्रण प्राधिकारी तथा सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रयोक्ता कृपया यह भी नोट कर लें कि अपूर्ण बोली सिस्टम में सुरक्षित नहीं की जाती हैं तथा ये निविदा आमंत्रण प्राधिकारियों के भी संसाधन के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं।

स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने से पूर्व बोलीदाताओं को अपलोड किए जा रहे सभी विवरणों, दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों पर उनके सही होने / सत्यापन करने के तौर पर हस्ताक्षर करने चाहिए।